संख्या-33/2022/ 1103 /002-53 1099 099 563 2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, मैनपुरी, आगरा, जालौन (उरई), हमीरपुर, झांसी, बांदा, महोबा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, शाहजहॉपुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराईच ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 29 दिसंबर, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83(जिला योजना-एससीपी) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सुविधा में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग उ0प्र0 के पत्रांक-433/दुग्ध-4/ नियो0/ तकनीकी निवेश-एस.सी.पी.(278) /21-22, दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के माध्यम से शासनादेश संख्या-25/2022/577/001-53-2099-099-563-2019, दिनांक 01 अगस्त, 2022 द्वारा अनुदान संख्या-83 (जिला योजना-एससीपी) योजनान्तर्गत 75 जनपदों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 138.72 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 69.36 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 69.36 लाख (रूपये उनहत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्नक के अनुसार सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/ उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए एस0सी0पी0/ टी0एस0पी0 मानक के अनुरूप ही व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत चालू योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों के लिए ही व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग मात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से गठित/ पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा। धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की गयी धनराशि के समायोजन के उपरान्त उक्त धनराशि करेंगे।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो, सम्बन्धित दुग्ध संघ/समितियॉ अपने संसाधन से वहन करेगें।

(7) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान तथा अनुसूचित जाति के उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय बजट प्राविधान हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कार्यो/मदों जिस हेतु वस्तुत: अनुमन्य है, केवल उन्ही प्रयोजन में धनराशि व्यय की जायेगी। किसी अन्य मद/ कार्य में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि से दवाओं/सामग्री आदि का क्रय संगत शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रिया व मानको के अनुसार किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/ संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(11)प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम हेतु दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में ऑकड़ो की शुद्धता एवं सही होने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(12)धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रायोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा।

(13)दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बन्धित दुग्ध संघों को प्रश्गनत कार्यक्रम/ मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(14)जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/ सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/ अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(15)स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे एवं बहीखाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बहीखाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/ परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगें।

(16)स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 69,36,000 (रुपये उनहत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2404007890400 दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सुविधा (जिला योजना) मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- 33 /2022/1103 /002-53 1099 099 563 2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/ प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त ।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी ।
7- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0 ।
8- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
9- सम्बन्धित क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 ।
10- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0 ।
11- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ ।
12- वित्त (व्यय-नियत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उत्तर प्रदेश शासन ।
13- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ विभाग को बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या-07/26-ब0प्रा0-2015, दिनांक-27.03.2015 के सन्दर्भ में प्रेषित।
14- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
15- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
16- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in